रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2185] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936

No. 2185] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2736(अ).– यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), 26 अप्रैल 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 0.000 कि.मी. से 131.695 कि.मी. तक (झांसी से लखनादौन सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 26 पर झांसी से ललितपुर सेक्शन के डिजाइन 0.000 कि.मी. से 49.700 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के चार लेन के स्टेन्डर्ड में विकास हेतु 09.03.2006 को प्राप्त हुई बोलियों के लिए, मैसर्स गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6–3–1090 सोमाजीगुडा, राजभवन रोड, हैदराबाद–500082, आंध्रप्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 29.09.2006 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनमें सा.का.नि. 950(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, .2011 और सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किए गए थे। (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 और 26 के झांसी–ललितपुर सेक्शन के डिजाइन 0.000 कि.मी. से 49.700 कि.मी. तक के चार लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 22.05 कि.मी है. {8.940 कि.मी. की सड़क तथा 1.311 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) तथा जिसकी समकक्ष लम्बाई 13.110 कि.मी. है} के लिए स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ अथवा उससे अधिक लागत वाले 39.450 कि.मी. लम्बाई वाले बाइपासों के लिए आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को वास्तविक

कार्यान्वयन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि. मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6.	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

(1) नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान चैनेज	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
झांसी जिले में गांव बबीना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 पर 32.100 कि.मी. पर (विद्यमान 28.500 कि.मी.)	8.940 (10 करोड़ से अधिक की लागत वाले बाइपासों और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, का उपयोग किए जाने के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करते हुए राजमार्ग की समान लम्बाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.) में	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झांसी जिले में गांव बबीना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 पर 32.100 कि.मी. पर (विद्यमान 28.500 कि.मी.)	1.311*	13.110	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* (60 मीटर से अधिक लम्बाई की) संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	बड़ा पुल 6.744 चैनेज पर	96.60
2.	आर ओ बी 10.481 चैनेज पर	117.25
3.	फलाई ओवर 13.860 चैनेज पर	68.97
4.	बड़ा पुल 15.139 चैनेज पर	270.07
5.	बड़ा पुल 20.730 चैनेज पर	128.80
6.	बड़ा पुल 42.206 चैनेज पर	629.30
	कुल	1310.99

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ अथवा इससे अधिक लागत वाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, ऐसे टोल प्लाजा के लिए बाइपास की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु आधार दर का डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	कुल लागत करोड़ रुपए में	दर जिसपर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित पर प्रारम्भ	निम्नलिखित पर मिलन			
झांसी जिले में गांव बबीना के	झांसी बाइपास	0.000 (विद्यमान 0.000 कि.मी.)	13.850 (विद्यमान 10.630 कि.मी.)	13.850	98.95	ऊपर सारणी 1 में

पास राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 पर 32.100 कि.मी. पर (विद्यमान 28. 500 कि.मी.)	खइलार बबीना बाइपास	13.850 (विद्यमान 10.630 कि.मी.)	31.875 (विद्यमान 28.135 कि.मी.)	18.025	128.77	उल्लिखित आधार दरों का 150%
	घीसोली बाइपास	35.225 (विद्यमान 31.465 कि.मी.)	37.400 (विद्यमान 33.680 कि.मी.)	2.175	15.54	
	बाडोरा बाइपास	38.400 (विद्यमान 34.660 कि.मी.)	40.175 (विद्यमान 36.400 कि.मी.)	1.775	12.68	
	कडेसराकला बाइपास	45.375 (विद्यमान 41.660 कि.मी.)	49.000 (विद्यमान 45.400 कि.मी.)	3.625	25.89	
			कुल	**39.450**		

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:–

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करवाने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

8. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 694.59 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/14–15/झांसी–ललितपुर (0.00–49.790)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2736(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 465(E) dated 26th April, 2002 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to 131.695 (Jhansi to Lakhnadon section) of National Highway number 26 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement on 29.09.2006 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Gayatri Jhansi Roadways Limited and having its registered office at 6-3-1090, TSR Towers, Somajiguda, Rajbhavan Road, Hyderabad– 500082, Andhra Pradesh, India, hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid received on 09.03.2006, for the development of Jhansi-Lalitpur section from design kilometer 0.000 to kilometer 49.700 on National Highway No. 25&26 (hereinafter referred to as the "said section') in Uttar Pradesh to Four lane standards in Design, Build, Finance, Operate and Transfer (Annuity) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act. 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 amended *vide* G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014 (hereinafter referred to as the Rules'), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four-lane of Jhansi-Lalitpur section from design kilometer 0.000 to kilometer 49.700 of NH 25&26, on the Type of Vehicles specified in column(1) at the rate specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for total equivalent road length of 22.05 km [including 8.940 km road and 1.311 km of structure (having more than 60 m length) with equivalent length of 13.110 km] and at one and one half times the base rate for 39.450 km length of bypasses costing Rupees Ten crore or more and authorise the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later.

Table-1

S. No.	**Type of Vehicles**	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 32.100 (existing km 28.500) on NH-26, near Village Babina in Jhansi District	8.940 (Excluding length of Bypasses Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 32.100 (existing km 28.500) on NH-26, near Village Babina in Jhansi District	1.311*	13.110	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	Major Bridge at Ch. 6.744	96.60
2.	ROB at Ch. 10.481	117.25
3.	Flyover at Ch. 13.860	68.97
4.	Major Bridge at Ch. 15.139	270.07
5.	Major Bridge at Ch. 20.730	128.80
6.	Major Bridge at Ch. 42.206	629.30
	Total	**1310.99**

3. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, at one and half times the base rate for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Total Cost, Rs. in crore	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at			
At Design km 32.100 (existing km 28.500) on NH-26, near Village Babina in Jhansi District	Jhansi Bypass	0.000 (existing km 0.000)	13.850 (existing km 10.630)	13.850	98.95	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Khailar Babina Bypass	13.850 (existing km10.630)	31.875 (existing km 28.135)	18.025	128.77	
	Ghisoli Bypass	35.225 (existing km 31.465)	37.400 (existing km 33.680)	2.175	15.54	
	Badora Bypass	38.400 (existing km 34.660)	40.175 (existing km 36.400)	1.775	12.68	
	Kadesarakala Bypass	45.375 (existing km 41.660)	49.000 (existing km 45.400)	3.625	25.89	
			Total	39.450		

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-I above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 694.59 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/14-15/Jhansi-Lalitpur (0.00-49.790)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.